



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

आदिवासी महिलाओं की पंचायती राज में भागीदारी पर एक सामाजिक अध्ययन

Ritu Singh¹ and Dr. Priyanka Jain²

¹ Research Scholar, School of Liberal Education, Galgotias University, Greater Noida, Uttar Pradesh, India

² Assistant Professor, School of Liberal Education, Galgotias University, Greater Noida, Uttar Pradesh, India.

सारांश

प्रस्तुत शोध में पंचायती राज व्यवस्था में आदिवासी व अन्य ग्रामीण दलित महिला प्रधानों की स्थिति का अध्ययन किया गया है। साथ ही स्वतंत्र भारत के इतने वर्षों बाद भी पंचायती राज व्यवस्था में बहुत अधिक बदलाव दिखाई नहीं लग रहा है। जबकी इस बार भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला है | जो 2015 व 2021 में झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं। भारत में होनहार आदिवासी महिलाओं की कमी नहीं है। पंचायतों में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के मुकाबले कम है, भले ही 50 प्रतिशत सीटे आरक्षित हो। उन पर पुरुषों का अधिपत्य दिखाई पड़ता है। इस पर सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है।

शब्द संकेत

आदिवासी आरक्षण, आदिवासी सरपंच, ग्राम पंचायत, कानून, महिला नेतृत्व, महिला सहभागिता, पंचायत राज व्यवस्था।

प्रस्तावना

भारत में पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व प्राचीन काल से ही था | देश की आजादी के बाद पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था कानून की शुरुआत 1957 में भारत सरकार ने ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया और 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर पंचायती राज की शुरुआत हुई। जिसके बाद 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। फ्रंटलाइन 2022 में दूसरा अशोक मेहता

समिति का गठन जनता पार्टी की सरकार द्वारा दिसम्बर, 1977 में अशोक मेहता ;पठानियाए 2022द्ध की अध्यक्षता में किया गया था। तीसरा जी. वी. राव समिति योजना आयोग द्वारा 25 मार्च, 1985 में ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने हेतु हुआ। चौथा डॉ एल. एम्. सिंधवी समिति 1986 में लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने हेतु पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री राजीव गाँधी जी की सरकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। पांचवा 1988 पी. के. थुंगन की अध्यक्षता में संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जाँच करने के उद्देश्य से गठित की गई। इस समिति में पंचायती राज्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया। जिसके बाद 1992 में 73वें संविधान संशोधन ;खानए 2023द्ध के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।

भारत में 24 अप्रैल ;भारतसरकारए 2025द्ध को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने की तिथि है। 73वा संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासी संस्था के रूप में काम करने में सक्षम बनाने के लिए कुछ शक्तियाँ और अधिकार देता है। इसी आदिवासी बहुल इलाकों में पंचायती राज के विस्तार पर अध्ययन करने के लिए एक संसदीय समिति बनायी गयी जिसे भूरिया समिति कहा जाता है। संविधान में किए गए प्रावधानों से उनकी स्थिति में बदलाव लाना हैं। यह संस्था स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्थानीय जनसाधारण द्वारा चुने गये सदस्यों द्वारा होता है ;महिपालए 2024द्ध।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था में आदिवासी महिला प्रधानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। क्यूकी 73वें संविधान संशोधन के बाद उन्हें संवैधानिक रूप से आरक्षण मिला है। जिससे वे स्थानीय शासन में सक्रिय रूप से भाग ले सकती हैं। संवैधानिक आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 243□ ;आयोगए 2025द्ध के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 (33%) सीटें आरक्षित हैं और कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया भाग प जोड़ा गया जिसमें पंचायतों से संबंधित प्रावधान ;अनुच्छेद 243 से 243;द्धद्ध शामिल हैं और एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। जिसमें पंचायतों के कार्यों के अंतर्गत 29 विषय शामिल हैं। आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए 73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को प्रतिनिधित्व के लिए अवसर दिया जिससे आदिवासी महिलाओं को भी स्थानीय शासन में अपनी भूमिका निभाने का मौका मिला। लेकिन अभी भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत में आदिवासी महिलाएं आदिवासी पुरुषों की तुलना में अधिक मेहनती हैं। वे अपने परिवार की आय में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। लेकिन उनकी आय के स्रोत सीमित हैं।

शोध का उद्देश्य

इस शोध का उद्देश्य आदिवासी महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का पता लगाना और रणनीतियों पर चर्चा करना है। जिससे चुनौतियों पर सफलतापूर्वक निपटने के लिए विचार कर सकें।

आदिवासी वे लोग हैं जो प्राचीन काल से ही किसी विशेष क्षेत्र में निवास करते हैं। उनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति परंपराएँ भाषा और जीवन शैली होती है। आदिवासी लोगों को अनुसूचित जनजाति भी कहा जाता है। भारत में आदिवासी समूह की संख्या 700 ,बरुआए 2025द्ध से अधिक है। वर्तमान शोध में पाया की भारत में आदिवासी महिलाओं का पंचायत स्तर पर कहीं पर भी डाटा उपलब्ध नहीं था। जिससे पंचायत में उनकी भागीदारी का सही अनुपात का पता चल सकें। हमने कई शोधकर्ताओं के शोध में पाया कि वर्तमान समय में आदिवासी महिलाओं की स्थिति पंचायत में न के बराबर ही है।

आदिवासी महिलाएं की भूमिका

भारत में आदिवासियों को दो वर्गों में अधिसूचित किया गया है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित आदिम जनजाति भी कहा जाता है। आदिवासी महिलाओं की स्थिति आमतौर पर उनकी आर्थिक भूमिका पर थी। अतीत में आदिवासी जंगल में रहते थे। उनकी आजीविका काफी हद तक खाद्य-संग्रह अर्थव्यवस्था पर निर्भर थीं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को संग्रह अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मध्यप्रदेश के बैतुल के आदिवासी इलाकों में जलाऊ लकड़ी एकत्र करना और बेचना आमतौर पर आदिवासी महिलाओं का काम है। वह उसको बेचकर परिवार के लिए जरूरत का सामान खरीदती है। आदिवासी महिलाएं बुनाई कौशल के लिए मशहूर हैं। वही महिलाएं ही बीज बिखेरने, निराई करने और कटाई करने में लगी रहती थीं। पहले भारत में आदिवासी महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों भूमिका न के बराबर थी। शिक्षा का स्तर हाशिए पर था। आदिवासी महिलाओं की शिक्षा के बिना देश का सार्थक समावेशी विकास संभव नहीं है।

अन्य देशों की तरह भारत में भी महिलाओं के लिए कई तरह के आरक्षण और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन नीतियां अन्य देशों की तरह अमल में नहीं लाई जाती है। झारखंड की दिग्गज सामाजिक, राजनीतिक आदिवासी महिला आन्दोलन कर्मी दयामनी बरला कहती है कि झारखंड में आदिवासी महिलाएं राजनीतिक रूप से जागरूक हैं। यह महिलाएं आज से नहीं बल्कि बिरसा मुंडा और सिंदो.कान्हू ,प्रभातए 2022द्ध के समय से जागरूक हैं। झारखंड का इतिहास उठाकर देखिए अंग्रेजों के खिलाफ 1855 में हुए आंदोलन में सिंदो.कान्हू की बहने फूलो मुर्मू और झानू मुर्मू ने आन्दोलन में भाग लिया और महिलाओं को संगठित किया और विद्रोह को एक अनूशासित व्यवस्थित लड़ाई में बदल दिया। उन्होंने महिलाओं की छोटी छोटी गुप्तचर समीतियाँ बनाई। प्राप्त सूचनाओं को क्रांतिकारियों तक पहुंचने की टीम बनाई और तरीके ईजाद किए। कई जगहों का शासन फूलो-झानों ने संभाला। अंग्रेजों को इस विद्रोह का दमन करने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। आखिर में फूलो और झानू भी पकड़ी गई और उन्हें आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। इस तरह आदिवासी महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आन्दोलन में हिस्सा लिया। आज भी झारखंड में आदिवासी महिलाएं अनेक आन्दोलनों का नेतृत्व करती हैं। फूलों-झानू जैसी महिलाएं आज भी मुखर हैं।

राजस्थान की आदिवासी महिलाओं का वर्चस्व बढ़ता दिख रहा है। अन्य महिलाएं भी पंचायतों में काफी सक्रिय हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग कर रही हैं। भारत के अन्य क्षेत्रों में भी महिलाएं बढ़ रही हैं। पर कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर उन्हें मदद दी जाए तो महिला शक्तिकरण एक मिशाल बन सकता है। बहुत सी मुखर महिलाएं राजनीति में अपने राज्य और देश का वर्चस्व ऊँचा कर सकती हैं। अपनी कमजोर बहनों को भी राह दिखा सकती हैं। उत्तरप्रदेश में आदिवासी महिलाएं सब्जियां उगा रहीं, बकरी पाल रहीं हैं। इस तरह सरकार किसानों, महिलाओं और गाँव के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ रही है। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी पंचायतों में आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। सरकार ने महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण भी दिया। 21 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने-अपने राज्यों पंचायती राज अधिनियमों/धनियमों में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, पीआईबीए 2024 का प्रावधान किया है। उनके उज्जवल भविष्य के लिए सरकार समय-समय पर कार्य कर रही है। जिससे महिला सशक्तिकरण को नई दिशा दे सके। उत्तर प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं ने रचा इतिहास में पंचायत चुनाव में महिलाओं ने अपना वर्चस्व बढ़ाया। ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक के पदों पर महिलाएं अधिक संख्या में चुनाव जीत कर आईं।

भारत की महिला सरपंचों की कहानी

1. राजस्थान की झुंझुनू जिले की कॉलसिया पंचायत की महिला सरपंच श्रीमती विमला देवी ने पक्की सड़को का निर्माण कराया। पानी की समस्या को दूर किया और रंगाई, कढ़ाई, बुना, सिलाई, पशुपालन आदि पर कार्य किया।
2. पिछले साल संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयार्क में त्रिपुर की सरपंच सुप्रिया दत्ता और आंध्रप्रदेश की राजकुमारी और राजस्थान की नीरू यादव ने भाग लिया था।
4. गुजरात के व्यारा गाँव में मीना बहन 65 साल में पहली बार सरपंच बनीं हैं। उनका कहना है कि यहाँ तो औरतों को समाज की पूँछ कहा जाता है। उन्होंने अपने क्षेत्र में सड़क का निर्माण कराया है। जिससे कि गर्भवती महिलाएं आसानी से अस्पताल तक जा सकें।
5. राजस्थान के सोडा गाँव की सरपंच है छवि राजावत कहानी भी ऐसी ही है। उन्होंने अपने गाँव में सौर उर्जा और पानी की व्यवस्था की और साथ ही बैंक खुलवाया है।
6. राजस्थान की एक सरपंच राधा रानी ने बच्चों को स्कूल भेजने का अभियान चलाया और माता पिता को तैयार किया कि वे अपनी लड़कियों की शिक्षा बीच में न रोकें।
8. राजस्थान की सरपंच ने स्वच्छ जल, स्वच्छता अभियान और शिक्षा जैसे मुद्दों को संबोधित करने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

9, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की सरपंच नीलम सिंह क्षेत्र भरतपुर ग्राम की एक ऐसी महिला है। जिन्हें स्वच्छ सुजल सन्मान 2023 में सम्मानित किया गया था।

10 . मध्यप्रदेश के देवास जिले की एक महिला सरपंच सुनीता अपनी अनूठी कार्यशैली के चलते समाज में मिसाल बन गई। वह अपने क्षेत्र के लोगों के पास खुद जाकर उनकी मुश्किलें सुनती है। अपने कार्यकाल में उन्होंने पेंशन मंजूरी, गोशाला निर्माण करवाए हैं जैसे महत्वपूर्ण काम करवाए हैं ;मनीषाए 2024द्ध।

भारत की आदिवासी महिला सरपंच

अभी हाल ही में एक आदिवासी महिला उत्पीड़न का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ के घुटकेल की सरपंच कुसुमलता ने ग्राम हित में पंचायत की बैठक बुलायी और लेटर हेड का इस्तमाल सूचना देने के लिए किया जिस पर सीईओ ने अवैध रूपसे लेटर हेड इस्तमाल करने का इल्जाम लगा दिया। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 87ए 89 व 40 का उल्लंघन मानते हुए ;शुक्लए 2025द्ध।

वहीं गढ़चिरौली में एक आदिवासी युवा सरपंच ने मिसाल कायम की है। आदिवासी समुदाय से उसे खूब स्नेह और प्यार मिल रहा है। उसका कहना हैरू *भकोठी ग्राम पंचायत में 2003 से कोई सरपंच नहीं था। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव की परियोजनाओं का प्रभार अपने हाथों में ले लिया लेकिन शौचालयए स्कूल और सड़कें या तो केवल कागजों पर मौजूद थीं या फिर उनकी हालत बहुत खराब थी।* ;लेखमीए 2023द्ध

संसद ने पंचायतों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों तक करने के लिए पेसा ;चै।द्ध एक्ट 1996 को पारित किया था ;जैनए रीविजिटिंग ट्राइबल हेरिटेज एंड कंटेम्परी इश्यूजए 2023द्ध। महिला सशक्तिकरण राजनीति पुरुषों के हाथ की कठपुतली हैं। बात कड़वी है पर सच भी है। जो गले से उतरना मुश्किल है। कब तक 33% और 50% आरक्षण के नाम पर महिलाओं की भावनाओं से खेलेंगे। नारे महिलाएं लगाए और महिलाएं धूप में घंटो खड़ी रहे और माला पुरुष पहने मंच पर सबसे आगे की पंक्ति में पुरुष बैठे। महिलाएं आदिवासी हो या अन्य वर्ग की महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी उतनी नहीं है। बदलाव है पर जितना होना चाहिए उतना नहीं है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां के कबीरधाम जिले के पारसवाडा गाँव में पंचायत में चुनी गई। छह महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पतियों ने शपथ ली ;शर्माए 2025द्ध। यह इस तरह का पहला मामला नहीं है।

भाजपा लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आदिवासी स्वतन्त्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 150 वीं जयंती के उपलब्ध में आयोजित पंचायत से संसद कार्यक्रम के तहत पंचायती राज संस्थाओं की महिला प्रतिनिधियों को संबोधित किया। जिसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना था और कहा कि महिलाओं को खासकर ग्रामीण और आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को शामिल करने से अधिक संवेदनशील और प्रभावी शासन व्यवस्था बनाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदायों की महिला सरपंच नेता ने स्वच्छ जल स्वच्छता और शिक्षा जैसे मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही उनके आत्मनिर्भर गाँवों के निर्माण में सहायक आदिवासी महिलाओं की उधमशिलता की भावना की भी प्रशंसा की। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति 33 प्रतिशत को पार कर 50 प्रतिशत तक हो गई है। फिर भी सशक्तिकरण का दृश्य अलग देखने को मिला।

निष्कर्ष

इस शोध का उद्देश्य है कि वर्तमान में पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका क्या सच में बढ़ती जा रही है। जैसे की भारत देश की पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी के लिए प्रयास और बढ़ती समस्याओं के लिए कहा गया है कि जागरूकता दिख रही है। आज भी महिलाओं की स्थिति में बहुत अधिक अंतर नहीं दिख रहा है। कारण कुछ भी हो सकते हैं आज भी महिलाओं प्रयास कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार पंचायती राज व्यवस्था को महिला सशक्तिकरण को सशक्त बनाने के लिए प्रयास में जुटी हैं। कैसे और बेहतर भविष्य के लिए महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में आगे आने के लिए नए मौके बढ़ाए जा सकें। जिसके माध्यम से पंचायती राजनीति में भागीदारी और बढ़ाई जा सकें। आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान में महिलाओं का वर्चस्व भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। जिससे वर्तमान समय में महिलाओं की भूमिका भिन्न स्तरों पर बढ़ती जा रही है। महिलाओं को आगे आने के लिए खुद भी प्रयास करने पड़ रहे हैं। लेकिन समाज में बढ़ती समस्याओं के कारण आज भी राजनीति में महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है। राजनीति में शामिल महिलाओं को समाज का एक हिस्सा आज भी गिरी हुई नजरों से देखता है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाना व पंचायती राज में सक्रियता भागीदारी को और अधिक प्रोत्साहित करना है।

सुझाव

आज आदिवासी महिलाएं पंचायतों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। तो यह भी आवश्यक है कि इस बदलते हुए परिदृश्य में पुरुषों को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ताकि वह महिलाओं के प्रति सम्मानपूर्ण एवं संवेदनशील व्यवहार कर सकें। महिला सरपंचों के मानदेय में वृद्धि की जानी चाहिए। जिससे वे अपनी आर्थिक जरूरतों के प्रति निश्चित रहते हुए पंचायतों के कार्यपूर्ण मनोयोग से कर सकें। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में और अधिक आत्मविश्वास विकसित किए जाने की आवश्यकता है। पंचायती राज संस्था में महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु मुख्य कार्य लोगों की महिलाओं के प्रति सोच में परिवर्तन लाना है। जो शिक्षा द्वारा ही संभव है। अगर पंचायती राज को सफलता के शिखर तक पहुंचना है तो महिला सरपंचों के लिए शिक्षा स्तर कम से कम दसवीं बारहवीं अनिवार्य होनी चाहिए जिससे कामकाजी कागजों को पढ़ने लिखने में आसानी हो और अन्य महिलाओं की मदद कर सकेंगी। जिससे दूसरों के हाथों की कठपुतली बनने से भी बचेगी। साथ ही पंचायती राज भी सशक्त होगा।

उद्धृत संदर्भ

1. द्वितीय आयोग, बीएनए, 2025, 26 अप्रैल। भारत में पंचायती राज का 73वाँ संशोधन। <https://secforuts.mha.gov.in/>: <https://secforuts.mha.gov.in/73rd-amendment-of-constitution-1973/> से लिया गया

2. खान, ए. ख. 2023, 22 सितंबर। 73वाँ और 74वाँ संशोधन, जिसने पहली बार निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की शुरुआत की। <https://www.indianexpress.com/article/explained/explained-law/73-74-amendment-reservation-women-elected-bodies-8947255/>

3. जैन, पी. 2023। रिवाइविंग ट्राइबल हेरिटेज और कंटेम्पेरी इशुज। एलाइड।

4. पाटन्या, एम. 2022। भारतीय राजनीति और शासन। पंचायती राज, सार्वजनिक नीति। अधिकार मुद्दे। नई दिल्ली। आईआईपीए

5. पी. ओ. पी. 2024, 6 फरवरी। पंचायतों में महिला आरक्षण के 30 वर्षों से सबका। <https://www.orfonline.org/expert-speak/lessons-from-30-years-of-women-s-reservation-in-panchayats/>

6. प्रभात, 2022, 30 जून। हूल दिवस विशेष: सिद्धो. कान्हू को हुई फाँसी तो चाँद भैरव और फूलो झानो का क्या हुआ? <https://www.prabhatkhabar.com/video/hul-diwas-jharhand-history-santal-vidroh-story-sidhu-kanhu-chand-bairav-brother-story-pkj>

7. फ्रंटलाइन, 2022, 11 अगस्त। 1959 का राजस्थान के नागौर में पंचायती राज की शुरुआत। <https://frontline.thehindu.com/the-nation/india-at-75-epochal-moments-1959-1969-1971-1973-1977-1980-1984-1987-1990-1996-2000-2004-2009-2014-2019-2024/article65725122.ece>

8. बरुआ, के. 2025, 10 फरवरी। भारत में जनजातों की सूची का राज्यवार संकलन और विवरण। <https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/list-of-tribes-in-india-1739195034-1>

9. भारत सरकार, 2025, 26 अप्रैल। राष्ट्रीय विखंडन राज दिवस। <https://secure.mygov.in/campaigns/national-tribes-day-2025/>

10. मनीषा, एम. (2024)। पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेत्रत्व एवं सहभागिता: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। International Journal of Creative Research Thoughts, 420-429।

11. महीपाल, 2024। निजीकरण राज चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ। स्प्रिंग कुंज दिल्ली। भारत नेहरू भवन।

12. राय, द. 2021, 19 सितंबर। विशेष: गांधी जी के सपनों को पूरा करने वाले व्यक्तित्व थे बलवंत राय मेहता। <https://www.amarojala.com/columns/blog/balwant-rai-mehta-death-anniversary-special-the-father-of-panchayati-raj?pagelId=1>

13. लेखी, बी. एम. 2023, 15 फरवरी। गढ़चिरोली की एक युवा आदिवासी सरपंच जो न तो पुरातत्व से डरती है न पुलिस से। <https://hindi.idronline.org/features/a-young-adivasi-sarpanch-in-gadchiroli-fears-neither-naxalites-nor-the-cops/>

14. शर्मा, के. 2025, 17 मार्च। महिलाओं को कभी-कभी कमतर न स्वीकारा जाता है। <https://www.prabhatkhabar.com/opinion/women-in-panchayati-raj>

15दशकुलप ;2025ए 18 अप्रैलदद । ीजजचेरुधूर्णीतपडीववउपणबवउध से लिया गयारु <https://www.haribhoomi.com/state-local/chhattishgarh/news/nagari-janpad-panchayat-ceo-s-arbitrariness-tribal-woman-sarpanch-sarpanch-sangh-angry-80003>

